न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़ (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 1063/दावा/2016
(पूर्व मि0नं0 632/2014)
दायरा दि0 16/06/2014

उनवान

1. रामबाबू पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी डोबड़ा तह0 खानपुर
2. गोगराज पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी डोबड़ा तह0 खानपुर
3. तेजपाल पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी डोबड़ा तह0 खानपुर
4. कालूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा नियासी डोबड़ा तह0 खानपुर
5. रामपाल पुत्र हजारीलाल जाति मीणा निवासी डोबड़ा तह0 खानपुर
6. ओमप्रकाश पुत्र नंदलाल जाति मीणा निवासी डोबड़ा तह0 खानपुर

— वादीगण

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र अमरा उर्फ अमरलाल जाति मीणा निवासी कैथूनी तह0 खानपुर
2. हेमराज पुत्र अमरा उर्फ अमरलाल जाति मीणा निवासी कैथूनी तह0 खानपुर
3. भूलीबाई पुत्री अमरा उर्फ अमरलाल जाति मीणा निवासी कैथूनी तह0 खानपुर
4. सुशीलाबाई पुत्री अमरा उर्फ अमरलाल जाति मीणा निवासी कैथूनी तह0 खानपुर
5. भरोसबाई पुत्री अमरा उर्फ अमरलाल जाति मीणा निवासी कैथूनी तह0 खानपुर
6. धन्नीबाई बेवा अमरा उर्फ अमरलाल जाति मीणा निवासी कैथूनी तह0 खानपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री वृजसुन्दर शर्मा अधिवक्ता – वादी

निर्णय

दिनांक 17/05/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम डोबड़ा की खाता सं0 7 नई, 7 पुरानी के ख0नं0 60 की 6.15 बीघा, ख0नं0 646 की 4.08 बीघा कुल 2 किता की 11.03 बीघा आराजी स्थित है, जो वर्तमान में मृतक अमरा पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी डोबड़ा के खाते दर्ज है। खातेदार अमरा ने अपने जीवनकाल में दि0 12.12.1973 को ग्राम डोबड़ा की ख0नं0 1062/403–405 रकबा 5.01 बीघा आराजी 400/– रू0 में रामबाबू पुत्र कन्हैयालाल, कालूलाल पुत्र हीरालाल, कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी डोबड़ा को बांट बराबर से बैचान कर विक्रय पत्र रजिस्टर्ड करवाया था। केता कालूलाल कुंवारा फौत हो गया है। केता कन्हैयालाल उसका सगा भाई था, जो भी फौत हो गया है। कन्हैयालाल के वारीसान वादीगण 1 लगा0 3 हैं। खातेदार अमरा उर्फ अमरलाल ने अपने जीवनकाल में दि0 03.05.1973 को ग्राम डोबड़ा की ख0नं0 937/91–92 रकबा 7.01 बीघा आराजी 2500/– रू0 में कालूलाल पुत्र जगन्नाथ, रामपाल पुत्र हजारीलाल, शिवप्रकाश पुत्र नंदलाल जाति मीणा निवासी डोबड़ा को बैचान कर विक्रय पत्र रजिस्टर्ड करवाया था। केता शिवप्रकाश फौत हो गया है, जिसका वारिस कोई नहीं है तथा मृतक शिवप्रकाश का सगा भाई ओमप्रकाश पुत्र नंदलाल जाति मीणा निवासी डोबड़ा है, जिसको वाद में वादी नं0 6 बनाया गया है। खसरा मिलान सं0 2020 के अनुसार पुराने ख0नं0 1062/403–405 के नये ख0नं0 60 व पुराने ख0नं0 937/91–92 के नये ख0नं0 646 बने हैं। उक्त कय की गयी आराजी पर

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

वादीगण अपने पिता के जीवनकाल से विक्रय दि0 3.5.1973, 12.12.1973 से आज दिन तक काबिज होकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण कब्जा मुखालफाना के आधार पर स्वतः खातेदार हो चुके हैं तथा प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार स्वतः निरस्त हो चुके हैं। आराजी का बैचान किये जाने के बाद भी अमरा के वारीसान ने अपना फौती इंतकाल खुलवा लिया है, जो अवैद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री फरमायी जावे कि ग्राम डोवड़ा की वादग्रस्त आराजी 2 किता की 11.03 बीघा आराजी का विक्रय पत्र के मुताबिक वादीगण को खातेदार टीनेंट घोषित फरमाया जावे तथा इंतकाल नं0 800 जो अवैध खुला है, उसको खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादीगण का नाम खाते से हटाया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद फरमाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0नं0 1, 2 की ओर से श्री हंसराज मीणा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाबदावा पेश करने का अवसर चाहा गया तथा प्रतिवादी नं0 3 लगा0 7 के बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा पर्याप्त अवसर के बाद भी जवाबदावा पेश नहीं किया गया। दिनांक 17.04.2017 प्रति0नं0 1, 2 व उनके अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। साथ ही अधिवक्ता वादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया गया। अधिवक्ता वादी ने अपनी साक्ष्य में वादी रामबाबू एवं गवाह द्वारकालाल, जगदीश के बयान दर्ज कराये तथा दस्तावेज नकल जमाबंदी ग्राम डोवड़ा सं0 2065–71 खाता सं0 7 Exp1, नकल नामा0 सं0 800 ग्राम डोवड़ा Exp2, अमरा द्वारा निष्पादित असल बैनामा दि0 10.12.1973 Exp3, अमरा द्वारा निष्पादित असल बैनामा दि0 03.05.1973 Exp4, नकल मिलान खसरा Exp5 प्रदर्श कराये गये। तत्पश्चात वादी की साक्ष्य बंद की जाकर अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी एक पक्षीय बहस में वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अमरा ने दि0 12.12.1973 को जर्ये रजिस्ट्री बैनामा से ग्राम डोवड़ा की ख0नं0 1062/403–405 रकबा 5.01 बीघा 400/– रू0 में रामबाबू पुत्र कन्हैयालाल, कालूलाल पुत्र हीरालाल, कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी डोवड़ा को बैचान की थी। केता कालूलाल कुंवारा फौत हो गया है। केता कन्हैयालाल उसका सगा भाई था, जो भी फौत हो गया है। कन्हैयालाल के वारिस वादीगण 1 लगा0 3 हैं। साथ ही खातेदार अमरा उर्फ अमरलाल ने दि0 03.05.1973 को जर्ये रजिस्ट्री बैनामा से ग्राम डोवड़ा की ख0नं0 937/91–92 रकबा 7.01 बीघा 2500/– रू0 में कालूलाल पुत्र जगन्नाथ, रामपाल पुत्र हजारीलाल, शिवप्रकाश पुत्र नंदलाल जाति मीणा निवासी डोवड़ा को बैचान की थी। केता नाबा0 शिवप्रकाश लाऔलाद फौत हो गया है, जिसका सगा भाई ओमप्रकाश पुत्र नंदलाल जाति मीणा निवासी डोवड़ा है, जो वादी नं0 6 है। पुराने ख0नं0 1062/403–405 के नये ख0नं0 60 व पुराने ख0नं0 937/91–92 के नये ख0नं0 646 बने हैं, जो अमरा के वारिसान प्रति0नं0 1 लगा0 6 के खाते दर्ज है। इस कयशुद्धा जमीन पर वादीगण अपने पिता के जीवनकाल से विक्रय दि0 3.5.1973, 12.12.1973 से काबिज होकर लगातार काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदार हो चुके हैं। बैचान के बाद भी अमरा के वारीसान ने फौती इंतकाल खुलवा लिया है, जो अवैद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। हमन राजस्व रेकार्ड एवं गवाहान के बयानों से अपने वाद को साबित कराया है। वही प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। अतः हमारा दावा स्वीकार कर डिक्री किया जावे तथा ग्राम डोवड़ा की वादग्रस्त 2 किता की 11.03 बीघा आराजी का बैनामें के आधार पर वादीगण को खातेदार टीनेंट घोषित फरमाया जावे तथा इंतकाल नं0 800 को खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादीगण का नाम खाते से हटाया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वादीगण ने दिनांक 3.5.1973, 12.12.1973 को खातेदार अमरा से जर्ये रजिस्टर्ड बैनामा से क्रय की गयी आराजी को खाते दर्ज किये जाने हेतू यह वाद पेश किया है। Exp1 ग्राम डोवड़ा की नकल जमाबंदी सं0 2065–71 खाता सं0 7 पर ख0नं0 60 की 6.15 बीघा, ख0नं0 646 की 4.08

उपखण्ड अधिकारी
छाबड़ा जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

बीघा कुल 2 किता की 11.03 बीघा आराजी रामस्वरूप, रामविलास, हेमराज, भूलीबाई, सुशीलाबाई पिता अमरा व भरोसबाई बेवा अमरा कौम मीना सा0देह के खाते दर्ज है, जो अमरा के फौती इंतकाल नं0 800 ग्राम डोबड़ा Exp2 से इनके खाते आयी है। Exp3 रजिस्ट्री बैनामा दि0 12.12.1973 से खातेदार अमरा ने ग्राम डोबड़ा की ख0नं0 1062/403–405 की 5.01 बीघा आराजी 400/– रू0 में रामबाबू पुत्र कन्हैयालाल, कालूलाल पुत्र हीरालाल, कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी डोबड़ा को बैचान की है। इसी प्रकार Exp4 रजिस्ट्री बैनामा दि0 03.05.1973 से अमरलाल ने ग्राम डोबड़ा की ख0नं0 937/91–92 की 7.01 बीघा आराजी 2500/– रू0 में कालूलाल पुत्र जगन्नाथ, रामपाल पुत्र हजारीलाल, शिवप्रकाश पुत्र नंदलाल जाति मीणा निवासी डोबड़ा को बैचान की है। नकल जमाबंदी सं0 2023–26 की खाता सं0 3 पर ख0नं0 1062/403–405 रकबा 5.01 बीघा ख0नं0 937/91–92 रकबा 7.01 बीघा आराजी अमरा नाबा0 पुत्र जगन्नाथ जाति मीना जात मीना संरक्षक भंवरी के खाते दर्ज है। मिलान खसरा ग्राम डोबड़ा के अनुसार साबिक ख0नं0 1062/403 –405 रकबा 5.01 बीघा के हाल नं0 60 रकबा 6.15 बीघा एवं साबिक ख0नं0 937/91–92 रकबा 7.01 बीघा के हाल नं0 646 रकबा 4.08 बीघा बने हैं। वादी रामबाबू मीना Pw1, गवाह द्वारकालाल मीना Pw2, जगदीश खाती Pw3 ने अपने बयानों में आराजी का अमरा द्वारा पंजीकृत बैनामा से बैचान किया जाना प्रकट किया है। गवाहान ने अपने बयानों में यह भी कहा है कि केता कालूलाल कुंवारा फौत हो गया है। केता कन्हैयालाल उसका सगा भाई था, जो भी फौत हो गया है, कन्हैयालाल के वारीसान वादीगण 1 लगा0 3 हैं। इसी प्रकार केता शिवप्रकाश की मृत्यु हो चुकी है, जिसका वारिसान कोई नहीं है तथा मृतक शिवप्रकाश का सगा भाई ओमप्रकाश पुत्र नंदलाल जाति मीणा निवासी डोबड़ा है। गवाहान ने कय दिनांक से ही यादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त होना भी कहा है। साथ ही वादीगण ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सहमति दी है कि वादीगण 1 लगा0 6 को वादग्रस्त आराजी में बांट बराबर से खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे। यहीं प्रति0नं0 1, 2 द्वारा पर्याप्त अवसर के बाद भी जवाबदावा पेश नहीं किया गया तथा बावजूद सूचना के न्यायालय से अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण 1 लगा0 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है, जिससे यही प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण को वादीगण के वाद पर कोई ऐतराज नहीं है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण ने अपने वाद को रेकार्ड एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित कराया है। ऐसे में वादीगण वाद में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

अतः वाद, वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम डोबड़ा की जमाबंदी सं0 2065–71 की खाता सं0 7 की ख0नं0 60 रकबा 6.15 बीघा, ख0नं0 646 रकबा 4.08 बीघा कुल 2 किता की 11.03 बीघा आराजी का वादीगण 1 लगा0 6 को बांट बराबर से खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण 1 लगा0 6 का नाम खाते से खारिज हो। राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 17/05/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner